

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227513
ग्रा.वि.- 14(म0)जहा0-02/2015

पटना, दिनांक 11/04/15

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

निबंधित

श्री ओम प्रकाश (2005) (बि0कृ0से0),
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जहानाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप मखदुमपुर प्रखंड (जिला-जहानाबाद) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
767.02	₹ 1050817.3999999994

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 767.02 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(प्रदीप कुमार)
सचिव


पत्रांक

पटना, दिनांक

प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

जहानाबाद जिला से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विभागीय जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र अनुलग्नक सहित का तामिला श्री ओम प्रकाश (2005) (बि0कृ0से0), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद के वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कराकर उन्हें ग्रामीण विकास विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश देने की कृपा की जाय।


सचिव

जिला का नाम:- जहानाबाद

जिला परिषद:- जहानाबाद

क्रम सं०	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि
1	2 राणा अवधेश (27.09.05 to 25.02.06)	3	4	5	6	7
1	सुरेन्द्र प्रसाद (26.02.06 to 13.12.06)			3005.32	0	4117288.4

पंचायत समिति/ प्रखंड स्तर पर:-

क्रम सं०/ प्रखंड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि
1	2 गोविन्द चौधरी (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1422/04)	3	4	5	6	7
1	गोविन्द चौधरी (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1422/04)	6169.32	4088.29	2081.03	27003	2824008.10
2	ओम प्रकाश (2005) (बि०प्र०से०) नरेन्द्र कुमार लोहानी (बि०प्र०से०)	7480.53	6713.51	767.02	0	1050817.4
3	राजीव रंजन	11358	8092.28	3265.72	69281	4404755.4
4	रतनी फरीदपुर एनामुल हक ((बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1652/99)	1000	380	620.00	0	849400.00
5	हुलासगंज गोविन्द चौधरी (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1422/04) अखिलेश कुमार सिंह (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-2353/99)	8346.4	7799.14	547.26	130010	619736.2
6	मोदनगंज अनील कुमार सिंह (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-584/99)	8909.14	8459.74	449.40	0	615678.00
7	काको भानु प्रकाश (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-2243/99)	12140.29	9173.5	2966.79	0	4064502.30

Office of the
 Joint Secretary
 Ministry of Rural
 Development
 Government of India
 New Delhi

Contd...2/-

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

11/06
 18

1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

Handwritten notes:
 H
 11/06
 18

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampurna Gramen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

Sir/Madam,

Transition from the SGRY and the NFFWP towards the implementation of NREGA in Districts identified.

SUBJECT :

The Secretary,
 Rural Development Department,
 Government of Bihar,
 Patna

Dated 17 December 2005

(65)

संज्ञा संख्या १११११

११/११

संज्ञा संख्या १११११

संज्ञा संख्या १११११

११/११

संज्ञा संख्या १११११

(Amrita Sharma)

Joint Secretary

संज्ञा संख्या १११११

Yours faithfully,

In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in concurrence with the mandate under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments, and other Panchayat bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to Intermediate Panchayat also meets the spirit of the Act to accord priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation might involve a number of agencies. In the transition period in this financial year, if it 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by them, the districts may be instructed that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

Two days of employment which is permissible under the Act